रजिस्ट्री सं.डीएल—(एन) 04/0007/2003—20 REGISTERED No.DL—(N) 04/0007/2003—20

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27022021-225527
CG-DL-W-27022021-225527

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27—मार्च 5, 2021 (फाल्गुन 8, 1942)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27—MARCH 5, 2021(PHALGUNA 8, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2021

सं. ए–12(11)10/2019–स्था. I––कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खंड (xxi) तथा उप धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आशुलिपिक) भर्ती विनियम, 2006 तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (प्रवर श्रेणी लिपिक अथवा प्रवर श्रेणी लिपिक–रोकड़िया) भर्ती विनियम, 2011 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में समूह 'ग' के कुछ पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (प्रवर श्रेणी लिपिक या प्रवर श्रेणी लिपिक रोकड़िया) तथा आशुलिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती विनियम, 2021 कहे जायेंगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता.– अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :–

   (क) भारत का नागरिक; अथवा

   (ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. शारीरिक स्वस्थता.—

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक जांच के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की अपेक्षा को संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करता पाया जाता है, तो वह नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की जांच कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरुपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता.—ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकते हैं।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर, आदेश द्वारा, किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति.—इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. प्रवर श्रेणी लिपिक/ प्रवर श्रेणी लिपिक रोकड़िया	6306*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन।	समूह 'ग', अराजपत्रित, लिपिकवर्गीय	लेवल—4 (रु.25,500—81,100)	गैर चयन

सीधी भर्ती वालों के लिए आयु—सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति – सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच (समय—समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष (2) ऑफिस सुइट्स	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष। पदोन्नत होने वालों के लिए 'शून्य'	(1) 75 प्रतिशत लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (2) 15 प्रतिशत वरिष्ठता—सह—उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य–क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के संघ राज्य–क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।)	एवं डेटाबेस के प्रयोग सहित कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।			(3) 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स के लेवल–2 (रु.19,900–63,200) में नियमित आधार पर ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ अवर श्रेणी लिपिक या एड्रीमा ऑपरेटर या टेलीफोन ऑपरेटर या कंप्यूटर। पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रवर श्रेणी लिपिक या प्रवर श्रेणी लिपिक रोकड़िया के पद पर पदोन्नति के लिए तैयार प्रशिक्षण को पूरा करने के शर्ताधीन होगी। दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत होने वाले व्यक्तियों को इस प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट होगी। परंतु जिन व्यक्तियों ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पहले पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, उन पर भी इस शर्त के अधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) में होंगे :– 1. क्षेत्रीय निदेशक/अपर आयुक्त/निदेशक, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम — अध्यक्ष 2. उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम — सदस्य 3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से उपयुक्त पद का एक अधिकारी — सदस्य स्थायीकरण के विचारार्थ समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (सीधी भर्ती वालों के लिए) में होंगे :– 1. क्षेत्रीय निदेशक/अपर आयुक्त/निदेशक, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम — अध्यक्ष	लागू नहीं

नोट 1 : परिशोधित भर्ती विनियमों की अधिसूचना की तिथि को नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल—2 (रु.19,900—63,200) में अवर श्रेणी लिपिक या एड्रीमा ऑपरेटर या टेलीफोन ऑपरेटर या कंप्यूटर का पद धारित कार्मिकों की पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए पात्रता सेवा अवर श्रेणी लिपिक या एड्रीमा ऑपरेटर या टेलीफोन ऑपरेटर या कंप्यूटर के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा होगी। नोट 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते वे अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा में ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, तथा उन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर लेने वाले अपने कनिष्ठों के साथ, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाः ग्रेड में नियमित आधार पर पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के लेवल—2 (रु. 19,900—63,200) में अवर श्रेणी लिपिक या एड्रीमा ऑपरेटर या टेलीफोन ऑपरेटर या कंप्यूटर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।	2. उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम — सदस्य 3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से उपयुक्त पद का एक अधिकारी — सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. आशुलिपिक	246*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन।	समूह 'ग', अराजपत्रित, लिपिकवर्गीय	लेवल—4 (25,500—81,100 रुपये)	लागू नहीं

(6)	(7)	(8)	(9)
18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच (समय—समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य—क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के संघ राज्य—क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष। (ii) कौशल परीक्षा प्रतिमानक : श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट प्रतिलेखन : 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी) (केवल कंप्यूटर पर)	लागू नहीं	दो वर्ष

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी : पदधारियों द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से	लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन : 1. क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक, (मुख्यालय), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(वित्त), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	लागू नहीं

प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएंगी। (i) नियमित आधार पर सादृश पदधारी; तथा (ii) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक।		3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से उपयुक्त पद का एक अधिकारी —सदस्य	

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

————————————

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 10th February 2021

No. A-12(11)10/2019-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Stenographer) Recruitment Regulations, 2006 and the Employees' State Insurance Corporation (Upper Division Clerk or Upper Division Clerk-Cashier) Recruitment Regulations, 2011 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Upper Division Clerk or Upper Division Clerk Cashier) and Stenographer (Group 'C' posts) Recruitment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality.— A candidate for appointment must be :—

(a) a Citizen of India; or

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. The Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness. —

(1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be the same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax. — Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

8. Savings.— Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Upper Division Clerk/ Upper Division Clerk Cashier	6306* (2021) *Subject to variation dependent on work load.	Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs. 25,500-81,100)	Non-Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 years and 27 years. (Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)	Essential: 1. Degree of a recognised University or equivalent. 2. Working knowledge of computer including use of Office suites and databases.	Not applicable.	Two years for direct recruitment. 'Nil' for promotees.	1. 75% by direct recruitment by written examination. 2. 15% by promotion on the basis of seniority cum fitness. 3. 10% by Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion /deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk or Adrema Operator or Telephone Operator or Computor in Level-2 (Rs. 19,900-63,200) in the pay matrix with eight years regular service in the grade on regular basis. Promotion shall be subject to completion of training for promotion to the post of Upper Division Clerk or Upper Division Clerk Cashier as devised by the Employees' State Insurance Corporation. Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 1: The eligibility service for consideration for promotion of	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Regional Director/Additional Commissioner/Director, Hqrs, Employees' State Insurance Corporation - Chairman 2. Deputy Director, Employees' State Insurance Corporation -Member 3. An Officer of appropriate	Not applicable

the officials holding the post of Lower Division Clerk or Adrema Operator or Telephone Operator or Computor in Level-2 (Rs. 19,900-63,200) in the pay matrix on regular basis as on the date of notification of the revised Recruitment Regulations shall be five years regular service in the grade of Lower Division Clerk or Adrema Operator or Telephone Operator or Computor. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Limited Departmental Competitive Examination: Lower Division Clerk or Adrema Operator or Telephone Operator or Computor in Level-2 (Rs. 19,900-63,200) in the pay matrix with five years' service in the grade on regular basis shall be eligible for appearing for Limited Departmental Competitive Examination.	rank from Employees' Provident Fund Organisation. - Member Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation (in case of direct recruits) consisting of: 1. Regional Director/Additional Commissioner/Director, Hqrs, Employees' State Insurance Corporation - Chairman 2. Deputy Director, Employees' State Insurance Corporation -Member 3. An Officer of appropriate rank from Employees' Provident Fund Organisation. - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Stenographer	246* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs. 25,500-81,100).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 years and 27 years. (Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government servants up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill Test Norms: Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription: 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (Only on computers).	Not applicable.	Two years.

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Regional Director/Director, (Hqrs), Employees' State Insurance Corporation - Chairman	Not applicable.

on deputation basis from the officers of the Central Government (i) holding analogous posts on regular basis; and (ii) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).		2. Joint Director/Deputy Director (Finance), Employees' State Insurance Corporation - Member 3. An Officer of appropriate rank from Employees' Provident Fund Organisation. - Member	

ANURADHA PRASAD
Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHA N ANANTHA KUMAR Digitally signed by JAGANATHAN ANANTHA KUMAR Date: 2021.02.27 11:20:51 +05'30'